रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240387 CG-DL-E-17112022-240387

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5153] No. 5153] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5379(अ).—केन्द्रीय सरकार, को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए "कांडला गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना" अनुभाग: प्रस्तावित पाइपलाइन पिपावाव से आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड दुमाड के क्रियान्वयन हेतु आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्घ में श्री हंसराजसिंह गोहिल, **सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत**

7671 GI/2022 (1)

अधिकारी, राजुला, कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना (के.जी.पी.एल), आई.एच.बी.लिमिटेड जिला - अमरेली (गजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

<u>अनुसुची</u>

तहसीलः- राजुला	जिलाः- अमरेली		राज्यः-गुजरात			
मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल			
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
रामपरा नं. 2	42	बी	00	33	89	
	175	पैकी1,पैकी 2	00	07	71	
	176	-	00	11	21	
	172	पैकी1, पैकी2, पैकी3	00	09	60	
	171	पैकी1, पैकी2	00	23	24	
	161	पैकी1, पैकी2	00	10	45	
	157	पैकी1, पैकी2, पैकी3, पैकी4, पैकी5	00	13	34	
	11	पैकी3, पैकी4, पैकी5, पैकी6, पैकी7, पैकी8	00	21	61	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओ.आर-आई/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5379(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from the State of Gujarat a pipeline should be laid for implementing Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project, Section:- Pipavav to IHB Limited Dumad, under the IHB Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may submit objection in writing to Shri Hansrajsinh Gohil, Competent Authority and Prant Officer, Rajula, Kandla-Gorakhpur LPG pipeline (KGPL),IHB Limited, Dist. Amreli (Gujarat) within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

Tehsil:- Rajula	District:- Amreli		State :- Gujarat			
Mouja / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
Rampara No.2	42	В	00	33	89	
	175	P1, P2	00	07	71	
	176	-	00	11	21	
	172	P1, P2, P3	00	09	60	
	171	P1, P2	00	23	24	
	161	P1, P2	00	10	45	
	157	P1, P2, P3, P4, P5	00	13	34	
	11	P3, P4, P5, P6, P7, P8	00	21	61	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under secy.